

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर



प्रवेश परीक्षा – 2018
(सत्र 2018–19)

स्नातकोत्तर प्रवेश कौंसलिंग निर्देशिका
PG Admission Counseling Instructions

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परिसर के विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश से सम्बन्धित समस्त पाठ्यक्रमों का विवरण, स्नातक प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम तथा अर्हताएं, प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वेबसाइट www.dduggu.edu.in पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी प्रमाणिक सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

विश्वविद्यालय आवासीय परिसर के पाठ्यक्रमों का विवरण:

कौंसैलिंग संबन्धित स्नातकोत्तर/अन्य पाठ्यक्रम :

1. **एम0ए0:** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति, भूगोल, दृश्य कला, मंच कला, शिक्षाशास्त्र, सतत् शिक्षा और प्रसार कार्य (स्ववित्त पोषित), अर्थशास्त्र, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन।
2. **एम0एस0सी0:** रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान स्ववित्तपोषित, इलेक्ट्रानिक्स, बायोटेक्नोलाजी स्ववित्तपोषित, गृहविज्ञान स्ववित्तपोषित एवं माइक्रोबायलाजी स्ववित्तपोषित।
3. **एम0काम0**
4. **एल0एल0एम0**
5. **एम0एड0**
5. **स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन—स्ववित्त पोषित मे।**
6. **बी0एस0सी0 नर्सिंग पोस्ट बेसिक—स्ववित्तपोषित केवल कालेज मे**
7. **एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय)**
8. **बी0जे0 (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म —स्ववित्तपोषित)**

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सामान्य नियम

1. प्रत्येक पाठ्यक्रम (स्नातक/स्नातकोत्तर) के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या पूर्व निर्धारित है। स्नातक प्रवेश परीक्षा 450 अंक (150 प्रश्न 3 अंक प्रत्येक) तथा परास्नातक प्रवेश परीक्षा 200 अंक (100 प्रश्न 2 अंक प्रत्येक) का होता है।
2. सभी संकायों में प्रतिदेय अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) निम्नलिखित ढंग से प्रदान किया जायेगा—
 - (i) स्नातकोत्तर एवं विधि कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय आवासीय खण्ड से योग्यता प्रदायी उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत।
 - (ii) गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से योग्यता प्रदायी उपाधि प्राप्त छात्रों के लिए 2 प्रतिशत।
 - (iii) महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रतिशत।
 - (iv) एन.सी.सी. में 'बी' या 'सी' सर्टिफिकेट प्राप्त छात्रों/छात्राओं के लिए 2 प्रतिशत।
 - (v) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं कम से कम एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 2 प्रतिशत। प्रमाण पत्र कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही यह देय होगा।
 - (vi) स्काउट/रोवर्स रेन्जर्स का अधिप्रतिनिधित्व नियमानुसार अनुमन्य होगा।
 - (vii) सेवा निवृत्त/मृतक शिक्षकों एवं मृतक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अविवाहित पुत्र/पुत्री एवं पत्नी/पति को प्रवेश में 10 प्रतिशत अधिभार अनुमन्य है।
 - (viii) सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 10 प्रतिशत का अधिभार अनुमन्य है, जो कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को भी तदनुसार प्रदान किया जाएगा।
 - (ix) कुल अधिकतम अधिप्रतिनिधित्व सभी मानकों को मिलाकर 10 प्रतिशत अनुमन्य है।

विश्वविद्यालय के परिणाम-सारणियन मे उक्त वेटेज के लिए प्रयुक्त संकेताक निम्नांकित है:

WT1	2% Weightage for FEMALE
WT2	2% Weightage for NCC B/C Certificate Holder
WT3	2% Weightage for NSS Certificate Holder
WT4	2% Weightage for Rover Ranger/ Scout
WT5	0 Weightage for Sports/ Player
WT6	10% Weightage for Ward of Employee of Affiliated College
WT7	10% Weightage for Ward of Retired/ Deceased Employee of DDUGU Campus
WT8	0 Weightage for Ward of Working Employee of DDUGU (10% Supernumary Seats in UG, Except in LLB; and 10% Supernumary Seats in PG classes will be Reserved)
WT9	5% Weightage for Student from DDUGU CAMPUS
	2% Weighage for Student FROM DDUGU AFFILIATED COLLEGES
	0 Weightage for Student from OTHER DEGREE COLLEGES

टिप्पणी: उपर्युक्त अधिप्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नहीं जुड़ेगा। किसी अभ्यर्थी को किन्हीं दो छूटों के आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक अधिभार देय नहीं होगा। 2(VII) एवं 2(VIII) के लिए यह अधिभार सीमा 10 प्रतिशत होगा।

3. राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में कोटा है। इसके अन्तर्गत प्रवेश कुलपति जी की सहमति से होगा। अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर इसे इंगित करें। राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खिलाड़ी जो खेलकूद के आधार पर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उस अभ्यर्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न संकायों तथा विभागों में स्थान निर्धारित है जो निम्नवत् है-

- अ. कला : स्नातक 10/ परास्नातक कला 05/ परास्नातक शिक्षाशास्त्र 01
 ब. विज्ञान : स्नातक 03/ परास्नातक 01
 स. वाणिज्य : स्नातक 03/ परास्नातक 01
 द. विधि : 02

4. आरक्षण :

(अ) ऊर्ध्व आरक्षण (केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों UP Domiciled के लिए) :

1. अनुसूचित जाति 21 प्रतिशत
 2. अनुसूचित जनजाति 02 प्रतिशत
 3. अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं) 27 प्रतिशत
 4. विधि में 20 प्रतिशत स्थान महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा।

उपरोक्त सभी (क्रम सं0.4 महिला आरक्षण को छोड़कर) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को अपने जिले के सक्षम अधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/तहसीलदार का अद्यतन अधिवास (Domicile) प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि उनके जाति प्रमाण पत्र अद्यतन हों तथा राज्य सरकार के नवीनतम राजाज्ञा के अन्तर्गत क्रीमीलेयर में न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो। अग्रेत्तर सूच्य है कि प्रवेश के समय शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ब) क्षैतिज आरक्षण :

1. शारीरिक रूप से विकलांग 3 प्रतिशत
 2. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र/पौत्री/प्रपौत्री) 2 प्रतिशत
 3. भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अंपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य 2 प्रतिशत
 4. कारगिल युद्ध में शहीद रक्षा कर्मी के आश्रित 1 प्रतिशत
 5. कश्मीर विस्थापित 5 प्रतिशत
 6. कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) 1 प्रतिशत

अग्रेत्तर सूच्य है कि शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(स) अधिसंख्य/सुपरन्यूमरी आरक्षण: 1.विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्यों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) के लिए स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिसंख्य/सुपरन्यूमरी आरक्षण की व्यवस्था है। यह कुल निर्धारित संख्या का 10 प्रतिशत है जिसमें प्रवेश आरक्षण नियमों के तहत होगा। विषय संयुक्तियाँ प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर मिलेगी। किसी भी पाल्य का प्रवेश बिना प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए नहीं किया होगा।

2. एम.एस.सी.(बायोटेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रानिक्स/माइक्रोबायोलॉजी) में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/ कर्मचारियों के

- पाल्यों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) को प्रवेश के लिए आरक्षण कुल सीटों के निर्धारित संख्या का 10% प्रतिशत।
- विधि स्नातक की कक्षाओं में किसी भी पाल्य के लिए सुपरन्यूमरी आरक्षण देय नहीं है।
 - विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्यों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण कुल निर्धारित सीट का **10 प्रतिशत** है।

टिप्पणी:

- नीचे दी गई तालिका में प्रमाणपत्र के सम्मुख अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा जो जाँच हेतु प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र	सक्षम अधिकारी
(अ) जाति प्रमाण पत्र (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.)	जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/तहसीलदार/ मजिस्ट्रेट
(ब) दिव्यांग प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
(स) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
(द) प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
(य) विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	कुलसचिव
(र) सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(ल) कश्मीर विस्थापित व कारगिल शहीद आदि	जिलाधिकारी

- वि.वि. के वेबसाइट/सम्बन्धित संकाय या विभाग के सूचना पट्ट पर प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से अर्ह प्रवेशार्थियों की सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद सम्बन्धित प्रवेशार्थी संकाय/विभाग की कौंसलिंग बोर्ड के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों (इसमें अन्तिम शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी सम्मिलित है) के साथ प्रस्तुत होंगे तथा सम्बन्धित अधिकारी प्रवेश सम्पन्न करेंगे। तत्पश्चात निर्दिष्ट तिथि तक ही बैंक में ऑनलाइन या इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में चालान से शुल्क जमा करके अपना प्रवेश लेंगे। शुल्क जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर ही सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण करा लेंगे। अन्यथा, उनका प्रवेश निरस्त कर अन्य को वरीयताक्रम में प्रवेश दे दिया जायगा।
- कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय का नियमित छात्र उस तिथि से माना जायेगा जिस दिन उसने प्रवेश शुल्क जमा कर सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण करा लिया हो।
- कौंसलिंग बोर्ड किसी भी व्यक्ति का प्रवेश बिना कारण बताये हुए निरस्त कर सकती है।
- योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तीन वर्ष से अधिक अन्तराल की दशा में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं होगा। एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत एवं दो वर्ष के अन्तराल पर 7 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के अन्तराल पर 10 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा के प्राप्ताको मे से कटौती के उपरान्त प्रवेश लिया जाएगा। सेवारत सैन्य कर्मियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रवेश में यह नियम लागू नहीं होगा।**
- विश्वविद्यालय की किसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर अथवा असफल रह जाने या रोक लिये जाने पर किसी छात्र को विश्वविद्यालय की उस कक्षा में दुबारा प्रवेश नहीं मिल सकेगा। परीक्षा में सम्मिलित/असफल छात्रों को भूतपूर्व छात्र होने की सुविधा उपलब्ध है।
- विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में किसी महाविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश नहीं होगा।
- स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र/छात्रा लगातार तीन वर्ष (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर या अधिक) तक अगले सेमेस्टर या अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता/होती है तो उसके बाद उस छात्र/छात्रा द्वारा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष और स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष या सेमेस्टर की दशा में पूर्व सेमेस्टर की उत्तीर्ण समस्त परीक्षा निरस्त मानकर आगामी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह नियम व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रकार के छात्रों के लिए लागू होगा।

अर्हता:

- स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य/गृहविज्ञान/कृषि में प्रवेश हेतु वर्ष 2015 या उसके बाद की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2018 में इण्टरमीडिएट/स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा (क्रमशः स्नातक व एल.एल.बी. तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु) अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- वर्ष 2015, 2016, 2017 में योग्यता प्रदायी (इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष) परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा के प्राप्ताको मे से नियमानुसार अधिकतम अंक का क्रमशः 10, 7 एवं 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।**
- जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2017 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उपर्युक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु

- नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र/संतोषजनक साक्ष्य प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
4. बी.एस.सी. गृहविज्ञान में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की अलग से प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। बी.एस.सी. गणित (मैथ) तथा बी.एस.सी.जीवविज्ञान (बायो) के प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी.एस.सी.गृहविज्ञान में प्रवेश ले सकते हैं।
 5. बी0एस0सी0 (चिकित्सा लैब तकनीक—स्ववित्तपोषित) बी0एस0सी0 (फीजियोथिरेपी—स्ववित्तपोषित) में प्रवेश परीक्षा बी0एस0सी0 गणित/ जीव विज्ञान (बायो) वर्ग तथा बी0एस0सी0 (नर्सिंग—केवल लड़कियों के लिए) में प्रवेश परीक्षा बी0एस0सी0 जीव विज्ञान (बायो) वर्ग/विषयों में होगा, अतः आवेदकों का इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान गणित/जीव विज्ञान वर्ग में अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
 6. उपलब्ध सीटों की संख्या में आवेदन पत्र नहीं प्राप्त होने पर प्रवेश परीक्षा नहीं आयोजित की जायेगी।
 7. बी.बी.ए. में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।
 8. स्नातक विधि में बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के अनुसार एल.एल.बी. में प्रवेश हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को योग्यता प्रदायी परीक्षा (बी.ए., बी.एस.सी., बी.काम.) में क्रमशः न्यूनतम 45 व 42 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता एल.एल.बी. में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं, जबकि यह नियम अनुसूचित जाति/जनजाति पर लागू नहीं होगा। **प्रवेश के समय बार काउन्सिल आफ इण्डिया के उपलब्ध अद्यतन मानक के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया व्यवहरित होगी।**
 9. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश स्नातक भाग—तीन के लिए गये विषयों में से किसी एक विषय में होगा। स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र की कक्षा में प्रवेश हेतु वे छात्र भी अर्ह होंगे, जो बी.ए./बी.एस.सी. तृतीय वर्ष में गणित/संख्यिकी के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किये हो। **एम0एस0सी0 बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रानिक्स, एम0ए0 एजुकेशन, एम0एड0, की विस्तृत प्रवेश अर्हताएं विश्वविद्यालय के वेबसाइट के साइट लिंक में भी देखें।**
 10. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता प्रदायी परीक्षा में 40 प्रतिशत प्राप्तांक की न्यूनतम अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं होगी। बायोटेक्नॉलोजी में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य अर्हता है।
 11. सतत् शिक्षा एवं प्रसार कार्य में एम.ए. में प्रवेश हेतु वे अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय अथवा भारत के किसी भी विश्वविद्यालय जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा इस विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हो, से **स्नातक उपाधि प्राप्त** किया हो।
 12. एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता एल.एल.बी. में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं, जबकि यह नियम अनुसूचित जाति/जनजाति पर लागू नहीं होगा। वर्ष 2013 या इसके पूर्व एल.एल.बी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। वर्ष 2015, 2016 व 2017 में योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंकों में से नियमानुसार अधिकतम अंक क्रमशः 10, 07 एवं 05 प्रतिशत की कटौती की जायेगी। एल.एल.बी. अन्तिम सेमेस्टर के परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी एल.एल.एम. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन प्रवेश के समय उन्हे प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
 13. **(1) बी0जे0 (पत्रकारिता में स्नातक उपाधि) में प्रवेश हेतु** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक/समकक्ष उपाधि धारी अभ्यर्थी ही अर्ह होगा। **(2) योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक) के उपरान्त तीन वर्ष तक ही कोई अभ्यर्थी बी0जे0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।** (3) बी0जे0 एक पूर्णकालिक, नियमित पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी की किसी अन्य डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की छूट नहीं होगी।

ELIGIBILITY FOR FOLLOWING MASTER DEGREE COURSES

1. **ELIGIBILITY FOR MASTER DEGREE IN BIOTECHNOLOGY IN SEMESTER SYSTEM:** Candidate with B.Sc. degree (10+2+3) from any recognized University shall be eligible for taking the admission test. Candidate appearing for the test must have obtained at least 55% marks in graduation for GEN/OBC category and 50% for SC/ST categories as per norms.
2. **ELIGIBILITY FOR MASTER DEGREE IN MICROBIOLOGY IN SEMESTER SYSTEM:** Candidate with B.Sc. degree (10+2+3) from any recognized University shall be eligible for taking the admission test. Candidate appearing for the test must have obtained at least 55% marks in graduation for GEN/OBC category and 45% for SC/ST categories as per norms. Candidate should have studied Botany/Zoology/Ind.Microbiology/ Microbiology/ Biotechnology as one of the subject at 3rd year graduation.
3. **ELIGIBILITY FOR MASTER DEGREE COURSE IN EDUCATION:** Only that candidate will be entitled to appear in M.A. (Education) examination who has passed B.A. three years degree course with Education as one of the Subject up to the third year of the Bachelor of Arts course or any other examination by the D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur.

4. ELIGIBILITY FOR MASTER DEGREE COURSE IN ELECTRONICS: B.Sc. in Electronics/Physics.
5. ELIGIBILITY FOR POST GRADUATE DIPLOMA IN DISASTER AND NATIONAL SECURITY MANAGEMENT :
Degree of B.A./B.Sc./B.Com./L.L.B. of any recognized University or any equivalent degree of a foreign University/Institution in admission, preference will be given to the candidates having Defence and Strategic Studies/ Economics/Geography/Psychology/International Relations/ Law/any subject of Science stream as one of the subject at graduate level.
6. ELIGIBILITY FOR THREE YEAR BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION COURSE :
A candidate having 10+2 from regular course in eligible for admission.
(a) The Examination shall be partly by means of Theory papers and partly be practical/project Works.
(b) Candidate shall be required to pass separately in theory and practical/project examinations
7. ELIGIBILITY FOR MASTER DEGREE COURSE IN ENVIRONMENTAL SCIENCE :
(a) Degree of B.Sc. (Life Science) of any recognized University or any equivalent degree of foreign Institution/Indian Institution; (b) The candidates who satisfy mentioned above clause (a) and the following conditions will also be eligible for admission in this course (i) Candidates who are sponsored for admission to the above course by the Government, Institutions or Public bodies or Private concerns.
(ii) Foreign students/ NRIs who are permitted by the University for admission to the above course as per rules.

चयन प्रक्रिया व प्रवेश:

1. न्यूनतम अर्हता वाले और प्रवेश परीक्षा में अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों का अस्थाई प्रवेश उनके परीक्षा के प्राप्तांक तथा अनुमन्य अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के आधार पर निर्मित सूचकांक श्रेष्ठताक्रम एवं उपलब्ध सीटों के आधार पर आरक्षण नियमों के अनुसार होगा।
2. विश्वविद्यालय इसी सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को समाचार पत्रों/ वेबसाइट के माध्यम से सूचित करेगा।
3. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को तत्संबंधी कौंसिलिंग बोर्ड के समक्ष समस्त मूल प्रमाण पत्रों (आधार, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिप्रतिनिधित्व प्रमाण-पत्र, विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित/कश्मीर विस्थापित/कारगिल शहीद दिव्यांग प्रमाण-पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/अन्तिम संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, दो फोटो और फीस पाठ्यक्रम अनुसार) एवं सभी की स्वहस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। जो अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/संस्थाओं से उत्तीर्ण है (यथा-सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. तथा बिहार बोर्ड) उन्हें उपर्युक्त किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश देना संभव नहीं होगा। व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र विश्वविद्यालय के शिक्षक/राजपत्रित अधिकारी/सांसद/विधायक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र जमा करेंगे। वांछित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
4. **प्रवेश के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, एतदर्थ प्रवेश पत्र को सम्भाल कर रखें।**
5. चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर काउन्सिलिंग व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश हेतु उपस्थित होकर अपने समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् प्रवेश कार्ड प्राप्त कर लेना होगा। निर्धारित प्रवेश शुल्क की सूचना अभ्यर्थियों को यथा समय दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लेता है तो प्रवेश हेतु उसका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क जमा करके सम्बन्धित संकाय कार्यालय एवं विभाग में अपना नाम पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
7. **अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा। फार्म में किसी प्रकार का परिवर्तन बाद में स्वीकार नहीं होगा।**
8. **किसी भी दशा में एक पाठ्यक्रम में पंजीकृत आवेदनपत्र दूसरे पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।**
9. अभ्यर्थी को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद नहीं है तथा भविष्य में अगर कोई एफ.आई.आर. दर्ज होगा तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।
10. आवेदक द्वारा ऑनलाइन भर चुके आवेदन पत्र में बाद में किसी भी स्तर पर कोई भी परिवर्तन संवर्ग, यथा (Category) उपवर्ग (Sub-category) आदि में नहीं किया जायेगा।
11. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त मूल प्रमाण पत्र को तत्संबंधी कौंसिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अर्हतादायी परीक्षा के उत्तीर्ण होने के छः माह बाद तक का ही मान्य चरित्र प्रमाणपत्र भी अवश्य लाना होगा। प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रवेश हेतु चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा। विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है।
12. **आरक्षण के लाभ हेतु अभ्यर्थी को तीन वर्ष के भीतर का जाति प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र अवश्य लाना होगा।**
13. प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र (Admit card) अभ्यर्थी को स्वतः इण्टरनेट से डाउनलोड करना होगा।

14. विभिन्न विषयों की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी।
15. **प्रवेश पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।**
16. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र/अभिलेख प्रवेश परीक्षा समाप्त होने की तिथि से केवल छः माह तक ही सुरक्षित रखा जायेगा।
17. **प्रवेश हेतु आवेदनपत्र केवल विश्वविद्यालय के वेबसाइट से ही तथा स्वयम ही भरें। सम्पूरित आवेदन पत्र की प्रति विश्वविद्यालय को भेजना नहीं है। ऑनलाइन सम्पूरित आवेदन पत्र व फीस प्राप्ति की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें व प्रवेश के समय तत्संबन्धी कौंसलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।**

अन्य स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु विषय तथा निर्धारित सीटें:

कक्षा/पाठ्यक्रम	निर्धारित सीट
बी0एस0सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) केवल छात्राओं के लिए	20 [गुरु श्री गोरखनाथ कालेज आफ नर्सिंग]
एल0एल0बी0	320
बैचलर आफ जर्नलिज्म (बी0जे0)	60

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु विषय तथा निर्धारित सीटें:

हिन्दी	120
अंग्रेजी	120
संस्कृत	120
उर्दू	60
समाजशास्त्र	120
राजनीतिशास्त्र	120
दर्शनशास्त्र	60
मनोविज्ञान	45
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	120
प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति	120
भूगोल	50
दृश्य कला	50
मंच कला	30
शिक्षाशास्त्र	50
एम0एड0 (विश्वविद्यालय केन्द्र तथा महाविद्यालय)	50 वि.वि. में + [50+50 दो महाविद्यालयों में]
सतत शिक्षा एवं प्रसार कार्य	30
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	50
सांख्यिकी	20
गणित	120
भौतिकी	50
रसायन विज्ञान	60
वनस्पति विज्ञान	50
प्राणिविज्ञान	50
पर्यावरण विज्ञान	20
इलेक्ट्रानिक्स	15
माइक्रोबायोलॉजी	20
बायोटेक्नालॉजी	20
गृहविज्ञान	30
आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	50
एम0काम0	120
एम0ए0 अर्थशास्त्र	120
एल0एल0एम0	30
एम0एस0सी0 (कृषि)	15x5 [15 प्रतिविषय केवल 5 महाविद्यालयों में]

विधि संकाय में प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय (छः सेमेस्टर) पाठ्यक्रम में प्रवेश पूर्णतया प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होता है। स्नातकोत्तर व अन्य उच्च उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए भी प्रवेश परीक्षा का नियम लागू होगा।
2. योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक या समकक्ष/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के तीन वर्ष से अधिक अंतराल होने पर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
3. प्रवेश में आरक्षण, वेटेज तथा प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत प्राप्त करने सम्बन्धी विश्वविद्यालय के सामान्य नियम लागू होंगे।
4. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के पत्र संख्या दिनांक 24.12.2008 एवं तदुपरांत के अनुसार विधि में सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक दशा में योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक) में 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी स्नातक के स्थान पर स्नातकोत्तर है व योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातकोत्तर) में उक्त शर्त पूर्ण करता है तो प्रवेश हेतु अर्ह माना जाएगा। एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता एल.एल.बी. में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं, जबकि यह नियम अनुसूचित जाति/जनजाति पर लागू नहीं होगा। उपर्युक्त से अधिक अंक प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों का प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठताक्रम के आधार पर ही किया जायेगा।
5. विधि स्नातक में प्रवेश हेतु वर्ष 2015 या उसके बाद किसी विश्वविद्यालय के स्नातक/परास्नातक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की समकक्ष उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे। वर्ष 2018 की परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते हैं तथा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, किन्तु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण (अंकपत्र) प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर ही उन्हें गैप रहित योग्यता प्रदायी परीक्षा संबंधी वेटेज लाभ देय होगा।
6. विधि स्नातक एक नियमित एवं पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। इसके साथ अभ्यर्थी किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी अन्य पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/डिग्री/शोध) में अध्ययन नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो किसी नौकरी में हैं या अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है विधि स्नातक प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
7. विधि स्नातक कक्षाओं में लेक्चर एवं ट्यूटोरियल प्रणाली से अध्यापन होता है। विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के सामान्य नियमों के अनुसार व विधि संकाय के अध्यादेशों के अन्तर्गत सभी कक्षाओं में उपस्थिति का एक न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक होता है। विधि तृतीय वर्ष में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सभी चार विषय में भी उपस्थिति के यही नियम लागू होते हैं। ट्यूटोरियल एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों की परीक्षा बाद में नहीं की जाती है।
8. अध्ययन-अध्यापन का माध्यम हिन्दी है, किन्तु एल0एल0बी0 द्वितीय वर्ष में लीगल लैंग्वेज अनिवार्य है, जिसके लिए अंग्रेजी भाषा का भी सामान्य ज्ञान आवश्यक है।
9. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक परीक्षा में अंक सुधार के लिए आवेदन किया है और वे प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह पाये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को कौंसिलिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने पर अपने अंक सुधार की अंकतालिका प्रस्तुत करनी होगी। यदि अंक सुधार का परिणाम तब तक नहीं आया है तो ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश नहीं पा सकेंगे।
10. वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के विधि परीक्षा के कुल प्राप्त अंकों में से नियमानुसार पूर्णांक का क्रमशः 10, 7 एवं 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
11. जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2016 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें उपर्युक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। कौंसिलिंग बोर्ड पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रदान करेगी।
12. प्रवेश परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 35 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत अंक पाने पर ही श्रेष्ठताक्रम के अनुसार उनके प्रवेश पर विचार किया जायेगा।
13. विधि स्नातक भाग एक में एक बार प्रविष्ट छात्र ने यदि अनुत्तीर्ण होने के कारण या परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अपने अवसर का उपयोग नहीं किया है तो वह पुनः प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा।
14. प्रत्येक अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा प्राप्त संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र प्रवेश के समय जमा करना होगा। यह नियम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से उत्तीर्ण छात्रों पर भी लागू होगा।
16. यदि कोई प्रवेशार्थी कौंसिलिंग बोर्ड के समक्ष घोषित तथि व समय पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर स्वयं उपस्थित नहीं होता, तब उसका प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश न दे और किसी भी समय प्रवेश नियमों में परिस्थितिकूल तथा नियमानुकूल संशोधन कर दे।

